संख्या– /XVIII(II)/2018–18(53)/2017

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 अप्रैल, 2018

विषयः– ग्राम बानूसा तहसील खटीमा के खसरा नं0–468/2 रकवा 0.1010 है0 भूमि जनमिलन केन्द्र हेतु पंचायती राज विभाग को आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–766/11–आर0के0खाम/2016, दिनांक 16–06– 2016 तथा पत्र संख्या–8395/सात–32(स0भू0अ0)/2018, दिनांक 07 फरवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम बानूसा तहसील खटीमा के खसरा नं0–468/2 रकवा 0.1010 है0 भूमि जनमिलन केन्द्र हेतु पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम बनूसा के खाता संख्या–213 के खसरा न0–113 रकवा 0.0850 है0, खसरा नं0–114 रकवा 0.1350 है0 खसरा नं0 116 रकवा 0.0760 है, खसरा नं0–468/2 रकवा 0.1010 है0 कुल रकवा 0.3970 है0 भूमि श्रेणी–5 राज्य सरकार के नाम दर्ज अभिलेख है, में प्रस्तावित भूमि खाता संख्या–213 के खसरा नं0–468/2 रकवा 0.1010 है0 भूमि वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनांक–15–02–2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)/2015/2014, दिनांक–09–07–1015 तथा शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(169)/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार जनमिलन केन्द्र हेतु पंचायती राज विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

...2

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–282/XVIII(II)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

...

2— आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— निजी सचिव, मा0 पंचायती राज मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
5— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।